मानननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट भोपाल

प्र.कं. R-2181-I/2011

देवीलाल पिता भेरूलाल भंडारी

निवासी- ग्राम उदनखेड़ी, वर्तमान तहसील पचौर

जिला-राजगढ़

.... आवेदक

विरूद्ध

काजोलबाई पत्नि भूपति कुमार गोलदार

निवासी- ग्राम उदनखेड़ी, वर्तमान तहसील पचौर

जिला-राजगढ़

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा-50 विरूद्ध आदेश दि.28.09.2011 प्र.क.96/निग./2009-10पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल

माननीय महोदय,

आवेदक द्वारा प्रकरण का संक्षिप्त विवरण उल्लेख करते हुए यह निगरानी निम्न वैधानिक बिन्दुओं पर प्रमाणित प्रतिलिपि की अवधि मुजरा करने पर अंदर म्याद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है :-

क्रमांक 3776 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 26.12.11 को प्राप्त रजिस्ट्रार ऑफ़ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री ... द्वारा प्रस्तुत 23/11/11 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग, भोपाल

1. यह कि अनावेदिका काजोलबाई के आवेदन पत्र पर प्र.कं. 75/अ-12/ 2008-09 द्वारा तहसीलदार पचौरी ने भू.कं. 403/1/1 रकबा 0.010 हे. एवं 403/1/2 रकबा 0.085 हे. भूमि का सीमांकन किये जाने के आदेश राजस्व निरीक्षक को दिये किन्तु अनावेदिका ने पटवारी से नप्ती कराने का अनुरोध तहसीलदार से किया जिस पर पटवारी ने दिनांक 14.06.2009 को सीमांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 25.09.2009 तहसीलदार को प्रस्तुत किया । तहसीलदार ने प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सीमांकन स्वीकृत किया। इस आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर राजगढ़ के न्यायालय में आवेदक ने प्रस्तुत की जो प्र.कं. 72/अ-12/2008-09 आदेश दिनांक 03.12.2009 द्वारा स्वीकार कर सीमांकन निरस्त किया । जिसके विरूद्ध अनावेदिका काजोलबाई ने निगरानी माननीय न्यायालय

...2...

X(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2181-I/11 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/8/18 भोपाल	आवेदक अभिभाषक श्री एम० के० सक्सेना उपस्थित। अनावेदक अभि० श्री मेहरबान सिंह उपस्थित।	Not press. [signature]
	2- आवेदक अभि० श्री सक्सेना द्वारा अनुरोध किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अनाo को इसमें कोई आपत्ति नहीं। अतः प्रकरण नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। [signature] सदस्य	[signature]